फाँसी पर लटका दो

बिना किसी गलती के आजीवन दंड

डॉ. मोहन उस दिन को याद कर रहे थे जब उन्हें 1987 में IMX (भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त संस्थान) में प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया था और सोच रहे थे कि क्या इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। उनका मानना था कि उन्हें तभी पुरस्कार मिलेगा जब भारत सरकार वेतन पुनरीक्षण करेगी। संस्थान के हाथों तो उन्हें बिना किसी गलती के आजीवन दंड ही मिला। यदि निदेशक की समझ सही थी, तो उसके लिए वित्तीय निहितार्थ क्या होंगे?

केस की पृष्ठभूमि

जिस घटना ने इस विचार को जन्म दिया वह एक ईमेल थी, जो संस्थान से उनके प्रश्न पर प्राप्त हुई थी कि उनकी पेंशन संशोधन और बकाया राशि प्राप्त करने में देरी क्यों हो रही है (प्रदर्शनी 1 अंतिम पैरा देखें)।

निदेशक से ईमेल प्राप्त करने के बाद, उन्होंने एक प्रोफेसर सहकर्मी के साथ तथ्यों की जांच करने के लिए काम करना शुरू किया, जिसने अनभिज्ञता जताई, लेकिन एक अन्य सहकर्मी का संपर्क नंबर दिया, जिसे डॉ. मोहन भी जानते थे। उनके बीच निम्नलिखित बातचीत हुई ।

.....

प्रिय प्रोफेसर अशोक, 2.8.2018

सेवानिवृत्ति के समय मेरा वेतन रु. 76340 (वेतनमान 53000- 67000 में) और ग्रेड वेतन रु. 10500. पेंशन का । 40% परिवर्तित (commute) किया गया । इसलिए सेवानिवृत्ति के समय पेंशन 76340*0.5*0.6 यानी रु. 22902 थी ।

7वीं सीपीसी के तहत संशोधन के बाद मेरी पेंशन क्या होगी?

मोहन

.....

प्रिय प्रोफेसर मोहन, 2.8.18

आपका वेतन रुपये 2,01,600 प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। पेंशन होगी। 1,00,800 प्रति माह। उसमें से 15268 रुपये कम्युटेशन का कटेगा इस प्रकार पेंशन होगी 85532 रुपये प्रति माह ,जिस पर आपको करीब 7056 रुपये का डीए भी मिलेगा.

अशोक

.....

वाह भगवान। बस एक ईमेल और पेंशन रु. 1000/- प्रतिमाह बढ़ गई । प्रो. मोहन को आश्चर्य हुआ।

फिर उन्होंने प्रोफेसर अशोक से छठे वेतन आयोग के अनुसार अपने वेतन निर्धारण की एक बार फिर से जांच करने के बारे में सोचा।

.....

प्रिय प्रोफेसर अशोक,

मैं अगस्त 1987 से आईएमएक्स में प्रोफेसर था और 30.6.2011 को सेवानिवृत्त हुआ। मेरा वेतन इस प्रकार था।

1.7.2000	22400	1.7.2002	22900

मुझे 26.2.2004 को विदेशी सेवा नियमों के तहत निदेशक के रूप में आईएमपी (भारत सरकार द्वारा पदोन्नत एक अन्य सहयोगी संस्थान) में भेजा गया और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2.3.2009 को आईएमएक्स में वापस आ गया। आईएमपी नियमित रूप से अपना पेंशन/पीएफ योगदान आदि आईएमएक्स को भेजता रहा। 3.2.2009 को प्रोफेसर ग्रेड (पीबी 4, जीपी 10500) में मेरा वेतन और 30.6.2011 को टर्मिनल वेतन (जिस दिन मैं सेवानिवृत्त हुआ) कितना होना चाहिए था?

मोहन

.....

प्रिय प्रोफेसर मोहन

आपका मामला बिल्कुल मेरे वेतन के समान प्रतीत होता है। मेरी पे भी 1.7.2000 को 22400 थी.।

आपका वेतन इस प्रकार होना चाहिए

2.3.2009.	73420
1.7.2009.	75630
1.7.2010	76340
30.6.2011	76340

अशोक

.....

प्रिय प्रोफेसर अशोक,

कैसा संयोग है डॉक्टर साहब! लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ है.

मैं 2.1.1986 को रु. 1800 रुपये के मूल वेतन पर IMX में शामिल हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में । 1.1.1987 को रु.100 की वेतन वृद्धि प्राप्त की और मेरा मूल वेतन रु. 1900 हो गया।,

अगस्त 1987 में, प्रोफेसरशिप के लिए आवेदन करने वाले चार लोगों में से मुझे पूर्ण प्रोफेसर के रूप में चुना गया और नियुक्त किया गया। लेकिन अजीब बात है कि मेरा मूल वेतन फिर से 1900 रुपये ही तय कर दिया गया। मेरा बेसिक अभी भी 1900 रुपये था। मैंने लेखा कार प्रबंधक से पूछा कि मेरी वेतन वृद्धि क्यों नहीं जोड़ी गई है, उन्होंने उत्तर दिया, "चूंकि आप अगस्त से प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए हैं, इस लिए आपको वेतन वृद्धि अगस्त में ही मिलेगी।" इस प्रकार मैंने एक अन्य एसोसिएट प्रोफेसर से कम वेतन प्राप्त करना शुरू कर दिया, जिसका मूल वेतन मेरे समान था (लेकिन पूर्ण प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत होने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था) और जनवरी में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि मिली, जिससे उनका बेसिक बढ़कर रु. 2000 हो गया। जब मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने विरोध जताया तो बेसिक बढ़ाकर रु. कर दिया गया. 2000,

लेकिन वेतन वृद्धि की तारीख 1 अगस्त ही रही. इस प्रकार, मुझे पूरे एक वर्ष की वेतन वृद्धि का भी लाभ नहीं मिला।

चौथे वेतन आयोग के बाद 1990 में एक और दिलचस्प निर्धारण किया गया। एक प्रोफेसर डॉ. मोहन से तीन वेतन वृद्धि पीछे था था, उसका वेतन डॉ. मोहन से दो वेतन वृद्धि ऊपर तय की गई । डॉ. मोहन ने अनुरोध किया कि वेतन पुनरीक्षण के तहत इस विसंगति को दूर करने के लिए एमएचआरडी को भेजा जाना था, लेकिन निदेशक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रबंधक (एफ एंड ए) की चेतावनी के बावजूद भी लाइब्रेरियन को एसोसिएट प्रोफेसर का स्केल दे दिया, जिसके लिए एमएचआरडी ने कम स्केल निर्धारित किया था ।

बाद के वेतन संशोधनों में 1 जनवरी और 1 जुलाई को वेतन वृद्धि देना जारी रखा गया। परिणामस्वरूप, मेरी अंतिम वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2010 को हुई थी। चूंकि संशोधनों की प्रभावी तिथि हमेशा 1 जनवरी होती थी, और वेतन वृद्धि के समूहन के कारण मुझे हमेशा एक वेतन वृद्धि कम दी जाती थी। इस प्रकार छठे वेतन आयोग आधारित संशोधन में यदि मेरी वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होती तो मुझे 2 के बजाय 3 रुकी हुई (stagnation increment) वेतन वृद्धि मिलती। मुझे रु. 65020 रुपये पर बेसिक के निर्धारण के बजाये रु. 66680 निर्धारित किया जाता । और रुपये 79000/- प्रति माह के मूल वेतन पर सेवानिवृत्त होता और उसी के अनुसार पेंशन तय की जाती । किसी भी स्थिति में मुझे जनवरी, 2011 में वेतन वृद्धि मिल जाती और मैं रुपये के मूल वेतन पर सेवानिवृत्त हो जाता। 30 जून 2011 को 79000/- रु. मैं पैमाने के शीर्ष पर पहुंचने से 1 दिन से चूक गया।

2010 में (जब एचएजी स्केल लागू किया गया था) एक उम्मीद थी कि मैं 79000/- रुपये के मूल वेतन के लिए अर्हता प्राप्त करूंगा। लेकिन संस्थान ने इसे अक्टूबर 2012 से लागू किया। (सरकार द्वारा अधिसूचित होने से 3 वर्ष से अधिक समय बाद), क्योंकि प्रदर्शन मूल्यांकन समिति ने उल्लेख किया था कि चूंकि समिति के पास बोर्ड या एमएचआरडी से कोई दिशानिर्देश नहीं था (क्या आप इस स्तर के झूठ पर विश्वास कर सकते हैं), उन्होंने सिफारिश की कि

कार्यान्वयन उस तारीख से किया जाना चाहिए जिस दिन बोर्ड रिपोर्ट को मंजूरी दे।

रिपोर्ट मई 2012 में प्राप्त किया गया था और अध्यक्ष की अनुमति से जून में "किसी अन्य मद" के रूप में अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था। इसे मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन (कार्यवृत्त स्वीकृत होने के बाद भी) जून के बजाये अक्टूबर 2012 में लागू किया गया ।

चूंकि मैं 30 जून 2011 को सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए मेरा नाम प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं किया गया था और न ही बोर्ड को बताया गया था।

वरिष्ठता में सभी प्रोफेसरों (मुझे और वरिष्ठम प्रोफेसर जिन्होंने जनवरी 2011 में 25 साल की सेवा पूरी की) को एचएजी स्केल मिला क्योंकि उन सभी को अर्हता प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रदर्शन मानदंड कम रखे गए थे। साथ ही पूर्ण प्रोफेसर के रूप में सेवा की पूरी अवधि के बजाय केवल 2006-2012 के बीच 6 वर्षों के प्रदर्शन पर विचार किया गया (वरना कई प्रोफेसर प्रदर्शन पर छट जाते) ।

प्रदर्शन के लिए सरकार की चिंता को खारिज करते हुए, बोर्ड ने यह भी मंजूरी दे दी कि यदि कोई संकाय पूर्ण प्रोफेसर के रूप में 6 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे सेवानिवृत्ति से कुछ महीने पहले (प्रदर्शन की परवाह किए बिना) एचएजी स्केल दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप मैं उन लोगों की तुलना में कम पेंशन प्राप्त कर रहा हूं, जो मुझसे 10 साल जूनियर थे, लेकिन 2012 में एचएजी तक पदोन्नत हो गए।

इस प्रकार, 1987 से जब मुझे प्रोफेसर के रूप में चुना गया - सेवानिवृत्ति तक और यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी, मेरी कोई गलती नहीं होने पर भी, मैं छत्तीस वर्षों से एक वेतन वृद्धि परिलब्धियों के बराबर नुकसान का दंड भुगत रहा हूँ। कभी-कभी मुझे महसूस होता है कि क्या मेरी स्थिति बेहतर नहीं होती, यदि मुझे प्रोफेसर पद के लिए दूसरों से कहीं आगे, (प्रदर्शन के आधार पर और खुले चयन के माध्यम से) उपयुक्त नहीं पाया जाता ।

प्रो. अशोक क्या आपको नहीं लगता कि भारत में उच्च शिक्षा के प्रबंधन संस्थानों में सेवा करने के लिए किसी को चौथा बेवकूफ * होना होगा?

मोहन

.....

प्रश्न 1: यदि आप डॉ. मोहन होते तो क्या करते? उसके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं?